



३४३।।

दूसरा 2286709
2286710

नव चेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2467 / 05/76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : ०१ सितम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-शामली।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वासियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु ० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50084784336	IFSC Code ALLA0211937	₹ 83.874
(धनराशि लाख रु ० में)			

क्रो सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/ मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० कैराना	म०० गुलशन नगर में पानीपत रोड में इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.865
2	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० कैराना	म०० गुलशन नगर में पानीपत रोड में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.662
3	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० जलालाबाद	वार्ड नं० १ हरी नगर में इंटरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.413
4	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० जलालाबाद	वार्ड नं० २ म०० आर्य नगर में सुनहरे के मकान से लुहारी रोड तक इंटरलाकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	2.961
5	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० जलालाबाद	वार्ड नं० २ म०० आर्य नगर में मकान से लुहारी रोड तक इंटरलाकिंग रोड टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	1.466
6	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० थानाभवन	म०० हाफिज दोरत में अंसारियों के कब्रिस्तान से ऊन रोड तक सीसी इंटरलाकिंग टाइल्स सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	11.837
7	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० बनत	म०० रैदासपुरी में भैंदा कुरेशी से मुश्शी बजारे व खुरशीद के मकान से कथगूम के मकान तक मिट्टी भराव व सीसी इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	13.064
8	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० काघला	वार्ड नं० ०७ म०० खेल में यूनिक इंटरलाकिंग कालेज से कमैले तक सीसी इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	11.780
9	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० बनत	म०० हकीकत नगर उत्तरी में अहसान के मकान पी०डब्ल्य०डी० रोड तक सीसी इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	3.285
10	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० शामली	म०० सलेक विहार में मुरतकीम के मकान से जाकिर के मकान तक, जाकिर के मकान से अलीहसन के मकान तक व शकील के मकान से नूरदीन के मकान तक मिट्टी भराव, सीसी इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.541
	योग				₹ 83.874

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में री०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:



333/2

दूरभाष 2286709
2286710

नव चेताना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 1 उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा मतिन वरित्यों में सी0पी0 रोड
2 अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य
3 कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
4 सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
5 सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
6 अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार
7 अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि रवीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भित है
8 जिससे कि शारकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को
9 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10 स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य
11 स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो,
12 सुनिश्चित किया जाये।
प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत
परियोजनाओं में सम्बन्धित कराते हुये किया जाये।
परियोजनाओं के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित
रख रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परियोजनाओं के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों
से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण
पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण
पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
उक्त धनराशि लूडा द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक
प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया
जायेगा।
अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उरी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रवीकृत की गई है। किसी
प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही
है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी रूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं
द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार
गुणवत्तापरक कार्य सम्बन्धित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर
सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय.

(बाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

1

- ## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
 - अपर निदेशक, सूडा।
 - अधिकारी अभियन्ता-सूडा
 - कम्प्युटर सेल / लेखा विभाग-सूडा।

प्रताप सिंह
वित्त नियन्त्रक